UPMP010005372026

न्यायालय District & Session Judge, Mainpuri

जमानत प्रार्थना पत्र सं० 244/2026

प्रेमादेवी उम्र 60 वर्ष पत्नी सतेन्द्र सिंह निवासी तिमनपुरा थाना कुरावली, जिला मैनपुरी।

---प्रार्थिनी/अभियुक्ता।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ---विपक्षी/वादी

आदेश

1– **प्रार्थिनी/अभियुक्ता प्रेमा देवी की ओर से यह प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध संख्या 367/2025 अन्तर्गत धारा–103(1),61(2)(ए) बी.एन.एस. थाना– कुरावली** जिला मैनपुरी में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– संक्षेप में लिखित तहरीर के अनुसार अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि ''वादी मुकदमा विनोद कुमार पुत्र प्रथ्वीराज निवासी देवपुरा थाना औंछा मैनपुरी का मूल निवासी है। घटना दिनांक 18–08–2025 समय करीब 1 बजे दिन की है। मेरे भाई सर्वेश कुमार व उसकी पत्नी निर्मला देवी के बीच भैंस के 1,00,000/–रूपए व जेवरात को लेकर आपस में वाद विवाद हो गया तभी निर्मला देवी ने बताया कि रूपया व जेवर मेरे मायके वालों के पास रखे हैं। मेरा भाई रूपया व जेवरात लेने के लिए अपनी ससुराल तिमनपुरा थाना कुरावली मैनपुरी को उसी समय चला गया। भाई को तिमनपुरा जाने के बाद निर्मला देवी ने अपने बहन के लड़के सोनवीर पुत्र राघवेन्द्र निवासी तिसाह थाना औंछा मैनपुरी व अपनी भाभी **प्रेमा देवी** पत्नी सतेन्द्र सिंह व भाई रमेशचन्द्र पुत्र वतीराम निवासी तिमनपुरा थाना कुरावली मैनपुरी को फोन पर सूचना देकर साजिश के तहत जान से मारने की योजना बना डाली। उक्त लोगों ने मेरे भाई को अपने घर में अन्दर लाठी डण्डों, बेल्चा आदि से मारा पीटा। उक्त लोगों ने मेरे भाई का मर्डर करने के उददेश्य से सिर पर कई वार किये जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया तथा मार–पीट में मेरे भाई का एक हाथ(बायाँ)तथा एक पैर(दाहिना)टूट गया। उपरोक्त लोगों ने एक राय होकर मेरे भाई के साथ मार–पीट की तथा रात्रि में 10:30 बजे अपने घर के बाहर गली में बेहोशी की हालत में डाल दिया। किसी व्यक्ति ने 112 नम्बर पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। 112 नम्बर गाड़ी ने सर्वेश कुमार को घायल अवस्था में कुरावली अस्पताल में भर्ती कराया। हालत गम्भीर होने के कारण डाक्टर ने तुरन्त जिला अस्पताल मैनपुरी को रैफर कर दिया। जहाँ डाक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर

दिया। मेरे भाई का पोस्टमार्टम करा दिया गया है। रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।''

3– प्रार्थिनी/अभियुक्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि प्रार्थिनी को उक्त केस के वादी मुकदमा ने उक्त केस की घटना दिनांक 18–08–2025 समय 1 बजे दिन की बताई है। उक्त केस के वादी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना में दिनांक 20–08–2025 को समय करीब 15:43 बजे लिखाई है। जबकि घटनास्थल से थाना की दूरी मात्र 8 किलोमीटर है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 2 दिन देरी से काफी सोच विचार कर लिखायी गयी है। देरी का कोई कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं दर्शाया गया है। उक्त केस का वादी विनोद कुमार मृतक सर्वेश कुमार का भाई है। सर्वेश कुमार शराब पीने का आदी है। वह शराब के नशे में घर से लड़–झगड़कर व नाराज होकर कुरावली चली गया था। जहाँ नशे की हालत में अज्ञात वाहन से मृतक का एक्सीडेंट हो गया था। सूचना पर प्रार्थिनी भी मोर्चरी गयी थी। उक्त केस का वादी मृतक का सगा भाई होने के कारण काफी सोच विचार कर व विधिक राय लेकर जमीन व घर हड़पने की नियत से अपनी भाभी निर्मला देवी व ससुरालीजनों के खिलाफ यह झूंठा मुकदमा लिखा दिया। मृतक का अपनी पत्नी से शराब के लिये पैसे माँगने को लेकर झगड़ा हुआ जिस कारण उसका अपनी पत्नी से विवाद हो गया और मृतक नाराज होकर अपनी ससुराल नशे की हालत में चला गया। मृतक का अपनी पत्नी से शराब के लिये पैसे मांगने को लेकर झगड़ा हुआ जिस कारण उसका अपनी पत्नी से विवाद हो गया और मृतक नाराज होकर अपनी ससुराल नशे की हालत में चला गया। उक्त केस के वादी ने अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई गवाह इत्यादि नहीं बताया है एवम न ही उक्त केस के वादी ने अपनी आंखों से कोई घटना घटित होते देखी। प्रार्थिनी/अभियुक्ता उक्त केस के मृतक की सलहज(साले की पत्नी)है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता निर्दोष है एवम अपनी जमानत देना चाहती है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता को दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा करने की याचना की गयी है।

4– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध किया गया एवं तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्ता द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः अभियुक्ता का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

5– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा केस डायरी का अवलोकन किया।

6– प्रस्तुत प्रकरण में तहरीर के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्ता तहरीर में नामित अभियुक्त है। तहरीर के अनुसार मृतक सर्वेश कुमार व उसकी पत्नी निर्मला देवी के बीच भैस के 100000 रु० व जेवरात को लेकर आपस में वाद विवाद होना कहा गया है। मृतक की पत्नी निर्मला देवी ने बताया कि रुपया व जेवरात मेरे मायके वालो के पास रखे है। वादी मुकदमा का भाई रुपया व

जेवरात लेने के लिए अपनी ससुराल तिमनपुरा थाना कुरावली मैनपुरी उसी समय चले जाने का कथन किया गया है जहॉ अभियुक्तगण ने आपस में साज करके एवं अभियुक्ता ने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर घर में अन्दर लाठी डण्डों व बेल्चा आदि से मार–पीटकर गम्भीर रूप से घायल करने एवं अस्पताल ले जाने पर डाक्टर द्वारा उसे मृत घोषित करने का कथन किया गया है। वादी मुकदमा द्वारा अपने बयान धारा 180 बी.एन.एस.एस. में तहरीर में उल्लिखित कथनों का पूर्ण समर्थन किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि मृतक को निम्न चोटें पायीं गयी–

1.incised wound 4x2cm bone deep present on left side skull 10cm above left eye, left parietal bone fracture visible.

2.incised wound 3x1cm muscle deep 2cm above right ear

3.incised wound 4x1cm bone deep present on left side posterior aspect of skull, left parietal bone fracture visible,

4 lacerated wound 3x1cm muscle deep on right side of chin mandible bone fracture

5.incised wound 1x1cm, 1x.5cm muscle deep on posterior aspect of right arm

6.incised wound 1x.5cm muscle deep on right elbow

7.incised wound 1x1cm muscle deep on posterior aspect of right forearm

8.incised wound 2x1cm muscle deep on dorasal aspect of right hand.

9. lacerated wound 3x2cm muscle deep on anterior aspect of lower part of left leg, tibia bone fractured

10.contused swelling 5x8cm on right side of abdomen तथा मृत्यु का कारण Hemorrhagic shock due to ante mortem injuries. दर्शित किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्ता की सक्रिय भूमिका होना दर्शित किया गया है। उक्त प्रकरण में सह अभियुक्त सोनवीर का जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय से पूर्व में निरस्त किया जा चुका है। अभियुक्ता द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः अभियुक्ता को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नही है।

7–तद्नुसार अभियुक्ता **प्रेमा देवी** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है ।

दिनाँकः18–03–2026

ACHCHHE LAL SAROJ

Digitally signed by ACHCHHE LAL SAROJ
Date: 2026.03.19 16:31:16 +0530

(अच्छे लाल सरोज)
कृते जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मैनपुरी